न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 92 / 2025(GCMS 2025/400)

(RTI No. 212655846610276)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हिमांशु सोनी पुत्र श्री हरिकिशन निवासी रतन ज्वैलर्स, नई मण्डी घड़साना, जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 90662–82608)

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़

19.03.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी हिमांशु सोनी स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 25.07.2025 से लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ से चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी, लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण, अपीलार्थी ने ऑनलाईन अपील पेश कर, लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि हिमांशु सोनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 25.07.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न 04 बिन्दुओं की सूचना चाही थीः

> सविनय निवेदन है कि मैने तहसीलदार तथा अवैध कॉलोनी के विरूद्ध एक शिकायत प्रस्तुत की थी, जिसे माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा संज्ञान में लिया गया। इस शिकायत (ग्रिवांस संख्या 062507823155331) पर दिनांक 08.07.2025 (office letter 4324) को जिला कलेक्टर द्वारा प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया।
>
> 1. मेरी शिकायत पर वर्तमान में जांच की क्या स्थिति है?
> 2. आपने इस जांच को अब तक किस स्तर पर पूर्ण किया है।
> 3. यदि इस प्रकरण में कोई कार्रवाई की गई है, तो कृपया उसकी प्रतिलिपि (कॉपी) उपलब्ध कराई जाए।
> 4. कृपया इस जांच से सम्बन्धित पूरी फाइल उपलब्ध कराई जाए, जिसमें शामिल हो।
>
>   समस्त तथ्य / प्रारम्भिक जानकारी
>
>   संबधित समन (Summons)
>
>   तैयार की गई रिपोर्ट्स
>
>   अवैध कॉलोनी की बिक्री या रजिस्ट्री पर कोई स्थगन आदेश (Stay Order) जारी किया गया हो, तो उसकी प्रति भी

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 92/2025
(GCMS No. 2025/400)
(RTI No. 212655846610276)
हिमांशु बनाम उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़

इस कार्यालय के पत्रांक सीजी/वाचक/25/3175 दिनांक 17.10.2025 से उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को अपीलार्थी की अपील पर टिप्पणी भिजवाने हेतु लिखा गया था इसके पश्चात इस कार्यालय के पत्र 3795 दिनांक 21.11.2025 **(स्मरण पत्र–1)** एवं 4037 दिनांक 10.12.2025 **(ई–डाक स्मरण पत्र–2) से** अपीलार्थी की अपील पर टिप्पणी भिजवाने हेतु लिखे जाने के पश्चात भी उनके द्वारा अपील का कोई जवाब/टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को कोई जवाब दिया है अथवा नहीं। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

> **<u>धारा 7 अनुरोध का निपटारा</u> : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।**
>
> **परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।**

चूंकि उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(1) के प्रार्थना पत्र पर सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया हो, ज्ञात नहीं होता है। जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं। आप द्वारा प्रार्थना पत्र का प्रार्थी को कोई जवाब न देना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रति आपकी असंवेदनशीलता, उदासीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है। इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और **उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि निर्णय प्राप्त होने के 07 दिवस में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित करें। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर